उत्तर प्रदेश शासन
सैनिक कल्याण अनुभाग
संख्या–904/48–2010–11–5(13)/1976
लखनऊः दिनांकः08दिसम्बर2010

## अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके विद्यमान आदेशो का अतिकमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद दीन दुखी भूतपूर्व सैनिको तथा उनके आश्रित पात्रों की गुजर बसर हेतु आकस्मिक अनुदान तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि नियमावली" निम्नवत् बनाते हैः–

### उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि नियमावली–2010

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि नियमावली–2010" कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– संक्षिप्त विवरण– प्रत्येक वर्ष में झण्डा दिवस पर उत्तर प्रदेश सैनिक झण्डा दिवस निधि में एकत्रित धन इसके आय के स्रोत होगें। राज्य सैनिक परिषद यानि निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा इस निधि का संचालन किया जायेगा।

3– परिभाषाएं:–

(अ) "निधि का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि से है।

(ब) "जिला सैनिक कल्याण" का तात्पर्य" जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश से है।

(स) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश के उस व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की सेवा में रहे है तथा उसके द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत आते हों।

(द) "आश्रित" का तात्पर्य" पत्नी (यदि पुनर्विवाहित नही है), पति, 25 वर्ष से कम उम्र के बेरोजगार पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता, पिता जो पूर्ण रूप से भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित हों, अविवाहित या विधवा बहिन जो पूर्णरूप से भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित हो। अविवाहित बेरोजगार 25 वर्ष से कम उम्र का भाई जो पूर्णरूप से भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित हों।

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश से है।

4– निधि का उद्देश्य– इस निधि का मुख्य उद्देश्य जरूरत मंद दीन दुखी भूतपूर्व सैनिको तथा उनके आश्रित पात्रों की गुजर बसर हेतु आकस्मिक अनुदान तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इस निधि से भूतपूर्व सैनिको के अन्य कल्याणकार्यो में होने वाले आवश्यक व्यय हेतु धन की व्यवस्था तथा धन स्वीकृत करना है।

..2/–

5– राज्य सैनिक परिषद स्तर पर समिति का गठन– राज्य सैनिक परिषद यानि निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश के स्तर पर इस निधि के सुसंचालन एवं उद्देश्य पूर्ति हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:–

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | – | माननीय मुख्यमंत्री जी। |
| उपाध्यक्ष | – | माननीय मंत्री जी समाज कल्याण तथा सैनिक कल्याण । |
| सदस्य | – | सचिव, सैनिक कल्याण अनुभाग। |
| सदस्य सचिव | – | निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश। |
| गैर सरकारी सदस्य | – | एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी होगें जिसे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि द्वारा नामित किया जायेगा, जिसका कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा। |

6– जिला स्तर पर समिति का गठन– प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर एक भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें:–

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | – | जिलाधिकारी |
| सदस्य सचिव | – | जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी |
| गैर सरकारी सदस्य | – | एक भूतपूर्व सैनिक होगें जिसे अध्यक्ष (जिलाधिकारी) द्वारा नामित किया जायेगा, |

7– परिसम्पत्ति / दायित्व(ऐसेट्स / लाइबिलीटीज)–निम्न स्रोतो से प्राप्त धनराशि को इस निधि में जमा किया जायेगा:–

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या–3757 / 48–78–11–2(9) / 78 दिनांक 17 अक्टूबर, 1978 के अनुसार जिलों द्वारा झण्डा दिवस पर प्रतिवर्ष एकत्रित धन का भाग तथा केन्द्रीय सरकार झण्डा दिवस निधि समिति से प्राप्त धनराशि।

...3 / –

8– प्रतिवर्ष जिलों द्वारा झण्डा दिवस पर एकत्रित धन का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगा:–

| | | |
|---|---|---|
| (1) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास | – | 30 प्रतिशत |
| (2) निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास | – | 70 प्रतिशत |
| (3) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड | – | केन्द्रीय सैनिक बोर्ड रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या–135(4)/2002/केएसबी/डी दिनांक 16 अगस्त, 2002 के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष प्रदेश में इस मद में संकलित की गयी धनराशि में से 1991 की जनगणना पर आधारित रू0 16 लाख 62 हजार की धनराशि निदेशालय सैनिक कल्याण द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को दी जायेगी। |

9– झण्डा दिवस पर सरकार से जनता से, तथा विभागों से प्राप्त धनराशि में 03 प्रतिशत कन्टीजेन्सी व विविध खर्चे के अतिरिक्त शेष धनराशि को उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक दातब्य निधि में सम्मिलित किया जायेगा।

10– अंशदान जो भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हो तथा उत्तर प्रदेश सैनिक झण्डा दिवस निधि तथा उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक दातब्य निधि की बिनियोजित धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि भी इस निधि में जमा की जायेगी।

11– अनुदान हेतु वरीयता:–

(1) दीन–दुखी भूतपूर्व सैनिक विधवा एवं उनके आश्रित।

(2) दीन–दुखी विकलांग भूतपूर्व सैनिक।

(3) 65 वर्ष से अधिक उम्र के भूतपूर्व सैनिक जो अपनी आजीविका स्वंय नही चला सकते तथा न्हि उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा सहायता नही दी जाती है।

(4) कुष्ठ रोग, क्षय रोग, मानसिक रूप से विक्षिप्त, रक्तचाप तथा कैंसर आदि जैसी घातक बीमारियो से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिक अपने उपचार हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है।

.....4/–

12– इस निधि से उक्त प्रस्तर–11 में दिये गये वरीयता के आधार पर निम्नलिखित मदों में वित्तीय सहायता हेतु तथा निम्न प्रकीर्ण मदों में व्यय किया जायेगा:–

(अ) जिलों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा स्वीकृत धनराशि तथा जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा/स्वीकृत धनराशि का वित्तीय सहायता के रूप में भुगतान।

(ब) इस नियमवली के प्रस्तर–11 के अनुसार आकस्मिक अनुदान (स्पाट ग्रान्ट) का भुगतान।

(स) भूतपूर्व सैनिको के कल्याण कार्यो हेतु निदेशक, सैनिक कल्याण की संस्तुति पर अध्यक्ष दातब्य निधि की सहमति से व्यय किया जायेगा।

(द) उक्त (अ) (ब) तथा (स) के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिको के कल्याण से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एक माह में अधिकतम रू0 250.00 और वर्ष में अधिकतम रू0 2500.00 तथा निदेशक, सैनिक कल्याण एक माह में अधिकतम रू0 500.00 और वर्ष में अधिकतम रू0 5000.00 की राशि इस निधि से अपने विवेकानुसार व्यय कर सकते है।

(य) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक अथवा विधवा जिसका निधन हो गया हो और आर्थिक स्थिति से अत्यन्त दीन हो उसके अन्त्येष्टि/किया हेतु आर्थिक सहायता उसके वारिश को इस निधि से दी जायेगी। यह सहायता उस मृतक के उस वर्ष में मिली वित्तीय सहायता तथा आकस्मिक अनुदान यदि कुछ मिला हो तो उसके अतिरिक्त होगी। इस मद में निदेशक सैनिक कल्याण रूपये 2000/– तथा जिलाधिकारी रूपये 2000/– तक की धनराशि अपने विवेकानुसार स्वीकृत कर सकते है।

(र) भूतपूर्व सैनिक दातब्य निधि से आर्थिक सहायता हेतु भूतपूर्व सैनिको द्वारा जिलों के माध्यम से प्रेषित प्रार्थना पत्रों की छानबीन, जॉच तथा सम्परीक्षण हेतु दैनिक वेतन वेतन भोगी लिपिक को दैनिक वेतन पर निदेशक अपने विवेकानुसार वर्ष में अधिकतम 89 दिन के लिए नियुक्त कर सकते है तथा दैनिक वेतन का भुगतान इस निधि से कर सकते है।

13– प्रबन्ध समिति का गठन:–

(अ) अध्यक्ष – राज्य सैनिक परिषद् स्तर पर गठित समिति के उपाध्यक्ष मा0 मंत्री जी सैनिक कल्याण इस समिति के अध्यक्ष होगे जो निधि की प्रबन्ध योजना को विनियमित रखेगें।

.....5/–

(ब) सदस्य सचिव – निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास।

(स) गैर सरकारी सदस्य – राज्य सैनिक परिषद स्तर पर गठित समिति के गैर सरकारी सदस्य ही इस समिति के गैर सरकारी सदस्य होगे।

14– सदस्य सचिव इस निधि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगें और निम्न कार्यो का संचालन करेगें:–

(अ) भूतपूर्व सैनिको, विधवाओं एवं उनके आश्रित पात्रों को आकस्मिक अनुदान तथा वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की छानबीन तथा उनको आर्थिक अनुदान हेतु वर्ष में एक बार समिति, उपसमिति तथा सचिव की बैठक तथा हर छः माह गैर सरकारी सदस्यो की बैठक की जायेगी।

(ब) निधि के खाते के लेखे/जोखे का रखना तथा निधि से भुगतान करना।

(स) निधि के प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार अनुदान का भुगतान करना।

(द) अपने वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत इस नियमावली के अनुसार वित्तीय सहायता तथा आपातिक आकस्मिक अनुदान को मंजूर करना।

15– प्रबन्ध समिति किसी भी राष्ट्रीय बैंकों में उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि (उत्तर प्रदेश एक्स सर्विसमैन बेनीवोलेन्ट फण्ड) के नाम बचत खाता खोलेगी। जिला स्तर पर इस निधि का रख रखाव व संचालन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। डाकखाने में भी इस निधि का बचत खाता खोला जा सकता है।

16– राज्य सैनिक परिषद् यानि निदेशालय सैनिक कल्याण स्तर पर इन निधि का खाता उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि के नाम किसी भी राष्ट्रीय बैंक तथा डाकखाने में खोला जायेगा। निदेशक, सैनिक कल्याण इस निधि की पूर्ण या आंशिक धनराशि को किसी भी राष्ट्रीय बैंक में नियतावधि (फिक्स डिपोजिट) योजना में समय समय पर जमा कर सकते है।

17– इस निधि में प्राप्त तथा भुगतान किये गये सम्पूर्ण ब्योरों को दर्शाने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, सैनिक कल्याण तथा जिला स्तर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एक रोकड बही खोलेगें, वित्तीय सहायतार्थ प्राप्त प्रार्थना पत्र जिसमें अनुदान स्वीकृत किया गया हो उन सभी का लेखे जोखे में भुगतान की गयी धनराशि को सम्परीक्षण हेतु रखा जायेगा।

.....6/–

18– इस निधि संबंधी लेखाओं का वार्षिकी सम्परीक्षण स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा किया जायेगा तथा व्यय विवरण रिपोर्ट छः माही अध्यक्ष, दातब्य निधि प्रबन्ध समिति को प्रेषित की जायेगी।

19– निधि से किये जाने वाले भुगतानों की रसीदों पर शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार रसीदी टिकट लगाये जायेगें और रसीद का सत्यापन भुगतान कर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

20– निदेशक यह सुनिश्चित करेगें कि इस निधि का सही सही उपयोग किया जा रहा है।

21– जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और निदेशक, सैनिक कल्याण इस निधि के सुसंचालन हेतु जिम्मेदार होगें और वे इस निधि से वित्तीय सहायतार्थ प्राप्त प्रार्थना पत्रों की भलीभांति छानबीन करने के लिए भी जिम्मदार होगे।

22– गैर सरकारी सदस्य भूतपूर्व सैनिको, विधवाओं एवं उनके आश्रितो से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की छानबीन तथा अनुदान हेतु उनकी सिफारिश करने के जिम्मेदार होगें और जब भी समिति की बैठक हो वे प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहेगें।

23– आहरण एवं वितरण अधिकारीः–

| | | |
|---|---|---|
| (अ)जिला सैनिक कल्याण | – | जिला सैनिक कल्याण दातब्य निधि के आहरण एवं वितरण अधिकारी जिलाधिकारी, जो कि इस समिति के अध्यक्ष भी है, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से होगे। |
| (ब) राज्य सैनिक परिषद | – | निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास इस निधि के आहरण एवं वितरण अधिकारी होगें। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, अपने अधीन किसी अन्य अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी नियुक्त कर सकते है। इस निधि का सम्पूर्ण नियंत्रण मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 जो कि इस निधि की समिति के अध्यक्ष भी हैं, का होगा। |

24– आकस्मिक अनुदान (स्पॉट ग्रान्ट)– इस निधि से आकस्मिक अनुदान निम्न अधिकारियों द्वारा भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित पात्रों को इस नियमावली के अनुसार योग्य होने पर एक वर्ष में केवल एक बार नियमानुसार स्वीकृत एवं वितरित किया जायेगाः–

.....7/–

जिला स्तर पर आकस्मिक अनुदानः–

| | | |
|---|---|---|
| (अ) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला दातब्य निधि समिति। | – | रू0 2000/– प्रतिपात्र प्रति वर्ष |
| (ब) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला सैनिक परिषद् दातब्य निधि समिति। | – | रू0 3500/– प्रतिपात्र प्रति वर्ष |

राज्य सैनिक परिषद् स्तर पर आकस्मिक अनुदानः–

| | | |
|---|---|---|
| (अ) निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, सदस्य सचिव उ0प्र0 दातब्य निधि समिति। | – | रू0 4000/– प्रतिपात्र प्रति वर्ष |
| (ब) प्रमुख सचिव/सचिव सैनिक कल्याण विभाग सदस्य सैनिक दातब्य निधि समिति। | | रू0 6000/– प्रतिपात्र प्रति वर्ष |
| (स) समाज कल्याण आयुक्त, उ0 प्र0 शासन | | रू0 8500/– प्रतिपात्र प्रति वर्ष |
| (द) मा0 मंत्री, समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण तथा उपाध्यक्ष उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक दातब्य निधि समिति। | – | रू0 11,000/– प्रतिपात्र प्रति वर्ष |
| (य) मा0 मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष उ0 प्र0 भूतपूर्व सैनिक दातब्य निधि समिति। | – | कोई सीमा नहीं। |

25– जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी आकस्मिक अनुदान के तुरन्त स्थल पर भुगतान हेतु रू0 5000/– नगद इस निधि से अपनी परिरक्षा में रखने हेतु प्राधिकृत होगें।

26– आकस्मिक अनुदान के तुरन्त स्थल पर भुगतान हेतु निदेशक, सैनिक कल्याण रू0 9,000/– (रूपये नौ हजार मात्र) इस निधि से अग्रिम के रूप में स्थाई रूप से अपने परिरक्षा में रख सकते है। स्थाई अग्रिम की धनराशि की समय–समय पर प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसका लेखा जोखा इससे संबंधित बही खातें में रखा जायेगा। अग्रिम की धनराशि किसी अन्य मद में खर्च नही की जायेगी।

.....8/–

27— निधि से आकस्मिक अनुदान अथवा वित्तीय सहायता की स्वीकृति देते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी समय निधि में उपलब्ध धनराशि गत 30 नवम्बर को निधि में उपलब्ध धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न होने पाये।

28— वित्तीय सहायतार्थ प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार की प्रकिया:—

उक्त प्रस्तर—24,25 व 27 में दर्शाये आकस्मिक अनुदान व वित्तीय सहायता हेतु जिलों से परिशिष्ट "अ" पर छपे प्रपत्र के अनुसार राज्य सैनिक परिषद भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति द्वारा मनोनीत एक गैर सरकारी सदस्य जो कि राज्य स्तर पर गठित कमेटी के सदस्य भी है द्वारा भलीभांति छानवीन की जाय और यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि केवल पात्र अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र जो कि इस नियमावली के अनुसार सभी शर्तो को पूर्ण करतें हो यह भी वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जायेगा।

29— उन पात्र अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र जो जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी तथा जिलाधिकारी के वित्तीय सीमा से अधिक के हो उनको जिला भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति अपनी सिफारिस के साथ राज्य सैनिक परिषद भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति को इस नियमावली के परिशिष्ट "ब" पर छपे प्रपत्र के अनुसार भेजेगें। राज्य सैनिक परिषद भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति को प्रेषित करने से पूर्व सभी प्रार्थना पत्र जिला स्तर पर पूर्ण किये जायेगें तथा उन्हे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित तथा जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति किया जायेगा।

30— जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा सिफारिश कर "राज्य सैनिक परिषद भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति" को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले प्रार्थना पत्रो की कुल संस्तुति धनराशि सामान्यतया उनके जिले द्वारा पूर्व वर्ष में निदेशालय सैनिक कल्याण को भेजी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि अपरिहार्य कारणों से अधिक है तो विशेष कारणों को स्पष्ट करना होगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि प्रार्थना पत्रों की वित्तीय सहायता हेतु संस्तुति उक्त प्रस्तर—11 में अंकित वरीयता के आधार पर की जाय। प्रार्थना पत्रों की वरीयता के आधार पर सूची के साथ निदेशक, सैनिक कल्याण उ0प्र0, जो कि भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि के समिति के सदस्य सचिव भी है, को प्रेषित की जायेगी।

31— प्रार्थना पत्रों की स्वीकृत धनराशि की सूचना जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/जिलाधिकारियों को रजिस्ट्रर्ड पत्र के माध्यम से भेजी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का भुगतान संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से नियत समय पर किया जायेगा।

.....9/—

32– जिला सैनिक कल्याण तथा राज्य सैनिक परिषद कोई भी उक्त निधि से किसी पात्र अभ्यर्थी को एक वर्ष में एक बार से अधिक अनुदान स्वीकृत नही करेगें।

33– प्रार्थना पत्रों में आर्थिक सहायता के लिए संस्तुति निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार की जायेगी:–

| | |
|---|---|
| (अ) जूनियर कमीशण्ड आफीसर्स, सामान्य भूतपूर्व सैनिक/विधवा एवं उनके आश्रित जिनकी पेंशन सहित समस्त स्रोतो से मासिक आय रू0 12,000/– से अधिक न हो। सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी निधि से सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। | रूपये–2,000/– से 3,000/– तक |
| (ब) भूतपूर्व सैनिक जो किसी घातक बीमारी जैसे–कैंसर, टीबी आदि से ग्रस्त हों और कोई मुफ्त इलाज न मिल रहा हो। | रूपये–3,000/– से 4,000/– तक |
| (स) विधवा/युद्ध विधवा जिन्हें पेंशन मिलती हो, पर आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध न हों। | रूपये–2,000/– तक |
| (द) विधवा/युद्ध विधवा जिन्हें किसी प्रकार की पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं है और वे कहीं सेवारत नहीं हैं और न ही कोई उनकी देख–रेख करने वाला है और बच्चे 21 वर्ष की उम्र से छोटे हों। | रूपये–3,000/– तक |
| (य) शारीरिक रूप से अपाहिज जैसे–अंधा, लूला, लंगड़ा, कोढ़ी आदि भूतपूर्व सैनिक। | रूपये–3,000/– से 4,000/– तक |

34– जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/सचिव जिला भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति जिले में भेजे गए अनुदान की धनराशि के सही लेखे–जोखे हेतु जिम्मेदार होंगे।

35– नियमावली के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति इस निधि से वर्ष में एक बार अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही पुनः इस निधि से अनुदान दिया जायेगा।

36– वार्षिक निरीक्षण–प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि का स्थानीय लेखा विभाग द्वारा निधि के वार्षिक सम्परीक्षण के अतिरिक्त सम्पूर्ण लेखा–जोखा निदेशक, सैनिक कल्याण एव पुनर्वास को वार्षिक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवर्ष 15 अप्रैल तक इस निधि के वार्षिक व्यय का परिलेखा निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा भेजा जायेगा। राज्य स्तर पर इस निधि का सम्पूर्ण आय–व्यय का लेखा–जोखा निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास द्वारा रखा जायेगा और उसका सम्परीक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

**बी0एल0 मीणा**
**सचिव।**

....10/–

पृ0 सं0– (1)/48–2010 तद्दिनांक

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लाक, आर0के0 पुरम्, नई दिल्ली ।
2. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लाक, आर0के0 पुरम्, नई दिल्ली ।
3. महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लाक, आर0के0 पुरम्, नई दिल्ली ।
4. निदेशक, पुनर्वास, मध्य कमान, लखनऊ।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0,लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग–3
9. गार्डफाईल

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह )
अनुसचिव।